REVIEW OF RESEARCH

भारत में चुनाव सुधारों का स्वरूप

मोहम्मद वसीम अकरम मोमिन

शोधार्थी,, राजनीति विज्ञान विभाग पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर.

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

सारांश

प्रजातंत्र में चुनाव का अपना विशेष महत्व होता है। प्रजातंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव की स्वतंत्रता व निष्पक्षता का दायित्व चुनाव आयोग पर होता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संविधान–निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग–15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग को चुनाव से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्यभार सौंपा गया है। चूंकि निष्पक्ष निर्वाचन व निर्वाचन–प्रणाली में सुधार प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है। प्रजातंत्र में चुनाव प्रक्रिया जितनी निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होगी, उतना ही प्रजातंत्र को स्थायित्व व वैधता प्राप्त होगी। यही कारण है कि प्रथम आम चुनाव के समय से ही चुनाव सुधार बुद्धिजीवियों के लिए चिंतन का विषय बना रहा है। भारत में मौलिक अनुसंधानों के आधार पर निर्वाचन–प्रणाली को सरल, सहज, स्वीकार्य एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है तथा भविष्य में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में आने वाले बाधक तत्वों की पहचान कर उसके समाधान निकाले जा सकते है। चुनाव आयोग ने 2019 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न कराया। भारत का 17 वां आम चुनाव सात चरणों में पूर्ण हुआ, जिसमें चुनाव आयोग की उल्लेखनीय भूमिका ने भारत के साथ–साथ विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया।

शोध पत्रः–

स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव द्वारा लोकतंत्र की नींव रखी जाती है। लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा विधायिका के सदनों हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन–प्रतिनिधियों को चुना जाता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव की स्वतंत्रता व निष्पक्षता का दायित्व चुनाव आयोग पर होता है। प्रजातंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संविधान–निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग–15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के गठन की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग को चुनाव से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्यभार संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक में सौंपा गया है। चूंकि निष्पक्ष निर्वाचन व निर्वाचन–प्रणाली में सुधार प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है। प्रजातंत्र में चुनाव प्रक्रिया जितनी निष्पक्ष एवं विश्वसनीय होगी उतना ही प्रजातंत्र को स्थायित्व व वैधता प्राप्त होगी। यही कारण है कि प्रथम आम चुनाव के समय से ही चुनाव सुधार बुद्धिजीवियों के लिए चिंतन का विषय बना रहा है। भारत में मौलिक अनुसंधानों के आधार पर निर्वाचन–प्रणाली को सरल, सहज, स्वीकार्य एवं ग्राह्य बनाया जा सकता है तथा भविष्य में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में आने वाले बाधक तत्वों की पहचान कर उसके समाधान निकाले जा सकते है।

संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग की स्थापना, निर्वाचन हेतु दिशा निर्देश दिए जाने की व्यवस्था की गई है। संविधान द्वारा निर्मित निर्वाचन आयोग मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, परंतु आज की दशा में भ्रष्ट एवं बुरी चीजें निर्वाचन को बाधित करती है। इसके उदाहरण हैः– मत पेटियों की लूटपाट, फर्जी मतदान, मतदान केंद्र पर कब्जा (Booth capturing), इत्यादि। वर्तमान भारतीय निर्वाचन प्रणाली आज की स्थिति में आदर्श निर्वाचन प्रणाली नहीं है। चूंकि इसमें सहभागिता की कमी दिखाई पड़ती है। निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी राजनैतिक दल पचास प्रतिशत से कम वोट पाकर भी जीत दर्ज कर सरकार बना सकते है। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को विभिन्न प्रकार के कारक जैसे– धर्म, जाति, भाषा, धन आदि प्रभावित करते हैं। इसके अलावा संगठनात्मक शक्ति एवं विचारधारा भी भारतीय निर्वाचन प्रणाली को प्रभावित करती है। विभिन्न राजनैतिक दलों की कार्य–प्रणाली एवं विचारधारा निर्वाचन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है।

भारत में प्रथम आम चुनाव लोकतंत्र के इतिहास में एक साहसिक कदम था। श्री सुकुमार सेन को प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। भारत में लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए की तैयारी के तहत मतदाता सूचियां तैयार करने का काम किया गया। 17 करोड़ 30 लाख वयस्क भारतीय नागरिकों को प्रथम आम चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में 16 आम चुनाव सम्पन्न हो चुके है, जिसमें मतदाता, राजनीतिक दल एवं मतदान दल ने चुनावों में नित नये परिवर्तन कर प्रजातंत्र में अपनी आस्था जतायी है। इसके साथ ही साथ विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए होने वाले चुनाव ने भारतीय नागरिकों की शासन में राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित कराई है। भारत में चुनाव सुधारों के स्वरूप के आधार पर ही मतदाता, राजनैतिक दल, एवं मतदान दल का व्यवहार निश्चित होता है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत में अब तक हुए चुनाव सुधारों के स्वरूप का अध्ययन कर मौलिक चिंतन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन से यह भी ज्ञात हो सका कि चुनाव सुधार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतदाता, राजनैतिक दल एवं मतदान कर्मियों के लिए चुनाव सुधार कहां तक प्रासंगिक रहे है? साथ ही आने वाले समय में चुनाव सुधार की दिशा में किस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए?, यह सुझाव के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

भारत में चुनाव जनता को राजनैतिक सहभागिता प्रदान करने का कार्य करती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जनता के लिए राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर सुलभ कराते है। चुनाव ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने और उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। यही कारण है कि संविधान निर्माण के समय निर्वाचन आयोग की संरचना के संबंध में संविधान सभा के सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्न–भिन्न थे। इसमें से कुछ सदस्यों का विचार था, कि निर्वाचन आयोग में चार या पांच सदस्य होने चाहिए और वे तब तक अपने पदों पर कार्य करते रहें जब तक कि वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते। इसके विपरीत एक विचारधारा यह भी थी कि चुनाव के समय राष्ट्रपति चुनाव कराने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त कर दे और चुनाव उसकी देख–रेख में करवाये जायें। एक अन्य विचारधारा यह भी थी, कि एक स्थायी चुनाव आयोग की स्थापना की जाए और चुनाव उसकी देख–रेख में होने चाहिए। इन सबके अतिरिक्त संविधान सभा के सामने एक समस्या यह भी थी, कि क्या चुनाव आयोग प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न–भिन्न होना चाहिए जैसा कि अमेरिका में है या इंग्लैण्ड की भांति सारे देश के लिए एक ही केन्द्रीय चुनाव आयोग हो। संविधान सभा ने निर्वाचन संबंधी के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया कि सारे देश के लिए एक ही स्थायी केंद्रीय चुनाव आयोग होना चाहिए। स्थायी केंद्रीय चुनाव आयोग की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर चुनाव करवा सके। संविधान निर्माता इस तथ्य से भली–भांति परिचित थे कि भारत जैसे विशाल देश में चुनावों तथा उपचुनावों की प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहेगी। इसलिए स्थाई चुनाव आयोग होना आवश्यक है। भारतीय प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग की स्थापना एक बड़ी उपलब्धि है। विश्व का सबसे विशाल प्रजातंत्र होने के कारण जनता का विश्वास बनाये रखना भी निर्वाचन आयोग का दायित्व है। लोकतंत्र की पवित्रता को बनाये रखने के लिए एवं निर्वाचन की विसंगतियों को दूर कर चुनाव सुधार की दिशा में सतत् प्रयास किए गए।

निर्वाचन तंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री सभा में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था–''अगर निर्वाचन तन्त्र दोषपूर्ण है या निष्पक्ष नहीं है या गैर–ईमानदार लोगों द्वारा संचालित होता है तो लोकतन्त्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जायेगा।'' प्रजातंत्र में निर्वाचन द्वारा किसी भी राजनैतिक दल या गैर–राजनैतिक दल के व्यक्ति को सत्ता चलाने की वैधानिकता प्राप्त होती है। चूंकि प्रजातंत्र में जनता द्वारा

निर्वाचित व्यक्ति ही सत्तासीन होते हैं, ऐसे में एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। निर्वाचन व्यवस्था प्रजातंत्र का प्राण है। प्रजातंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं कि चुनाव होते हैं, अपितु इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव किस भाँति व कितने निष्पक्ष तरीके से होते हैं और आम मतदाता निर्वाचन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना भरोसा करता है।

भारत में स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से सम्बंधित सम्पूर्ण व्यवस्था दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण करने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION) की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे, जितने कि समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनित किए जाते है। अनुच्छेद 324 (3) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे। भारत में निर्वाचन आयोग अपने कार्य को पूर्ण ईमानदारी व निष्पक्षता से करे इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के पश्चात् राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया निष्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। सन् 1951 में पहली बार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

स्वतंत्र भारत में पहली बार 16 अक्टूबर सन् 1989 को राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देष्य से दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। श्री एस. एस. धनुवा और श्री वी. एस. सहगल की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आुयक्त की सहायता के लिए की गई थी। इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि इसी वर्ष 61वें संविधान संषोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, जिससे मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हो गई थी। वर्तमान समय में भारतीय प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार, अपराध, धन एवं बल ने अपनी जड़े गहरी जमा रखी है और इसे हटाने अथवा इसके रोकथाम के लिए राजनैतिक दलों में किसी भी प्रकार की तत्परता दिखाई नहीं पड़ती है। जातिवाद और सांप्रदायिकता इत्यादि ऐसे ज्वलंत मुद्दे है जो कि भारतीय राजनीति को चारो ओर से घेरे हुए है। वर्तमान समय में भारतीय राजनेताओं की साख आम जनता में गिरती हुई प्रतीत हो रही है। अधिकांश राजनैतिक पार्टियों के पास ऐसे प्रत्याशियों की कमी नहीं है, जिसका संबन्ध आपराधिक–पृष्ठभूमि से है। यह सब ऐसे मुद्दें हैं जो कि चुनाव की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाते हैं। इन कारणों से आम जनता का वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया से विश्वास उठता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि चुनाव सुधारों हेतु सरकार ने समय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर विभिन्न समितियों तथा आयोग का गठन किया, जिन्होने सरकार को अपनी अनुशंसा की जो अग्रलिखित बिन्दुवार हैः–

- **तारकुण्डे समितिः**– तारकुण्डे समिति 1974–1975 ने मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने हेतु प्रस्ताव रखा। जिसे भारतीय संविधान में 61 वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया। तारकुण्डे समिति ने आय के स्त्रोतों का उल्लेख तथा आय–व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य करने के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा इसकी जाँच करने हेतु सिफारिश की। तारकुण्डे समिति की सिफारिश में यह भी उल्लेखित था कि चुनाव के दौरान मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा ना करें। सरकारी वाहनों व विमानों का प्रयोग ना करें एवं उनके सभा–सम्मेलनों में सरकारी मंच ना बनाया जाए।
- **दिनेश गोस्वामी समितिः**– मई सन् 1990 में आयी दिनेश गोस्वामी समिति ने सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग को रोकने के साथ–साथ किसी भी उम्मीदवार को दो या दो अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लडने की अनुमति ना देने संबन्धी सुझाव दिए। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव आयोग को तीन सदस्यीय निकााय बनाने हेतु सुझाव दिया। साथ ही भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किये जाने की सिफारिश प्रस्तुत की।
- **इन्द्रजीत गुप्ता समितिः**– इन्द्रजीत गुप्ता समिति 1998 में चुनाव में होने वाले प्रशासनिक व्यय एवं उम्मीदवारों का व्यय राजकोष से वहन होने की बात कही।

- **विधि आयोग की रिपोर्ट**:– विधि आयोग की रिपोर्ट ए. पी. शाह ने प्रस्तुत की। जिसमें चुनाव सुधारों हेतु राजनीतिक दलों के आय–व्यय एवं स्त्रोतों को सार्वजनिक करने, घर्म का राजनीति में दुरूपयोग रोकने एवं राजनीति में अपराधिकरण रोकने हेतु कानून बनाने संबन्धी सुझाव प्रस्तुत किए गए।

भारत में चुनाव सुधारों के प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों की बैठक में लिए गए निर्णय:– चुनाव सुधारों के प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों की बैठक 22 मई, 1998 को आयोजित हुई जिसमें लिए गए निर्णय अग्रलिखित है–

(अ) चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा व विधानसभा हेतु आयु सीमा घटाकर न्यूनतम 21 वर्ष तथा विधानपरिषद व राज्यसभा हेतु आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष कर दिया जाए।

(ब) किसी भी एक उम्मीदवार को दो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान प्रावधान को बनाये रखा जाए एवं इसे एक क्षेत्र तक सीमित ना किया जाए।

(स) मतदान की अनिवार्यता को लागू ना किया जाए।

(द) वर्तमान में संसदीय तथा विधानसभा चुनाव क्षेत्रा की संख्या यथावत रहे, जब तक कि वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नया परिसीमन नहीं हो जाता।

भारत में अब तक हुए प्रमुख चुनाव सुधार:– भारत में विभिन्न आयोगों एवं समितियों की अनुशंसा, न्यायालयीन निर्णय व राजनीतिक दलों के सुझााव द्वारा भारतीय प्रजातंत्र में अब तक हुए प्रमुख चुनाव सुधार बिन्दुवार उल्लेखित है:–

- 61 वॉ संविधान संसोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, मार्च 1992 में विशिष्ट प्रावधान सम्मिलित किए गए ताकि आयोग को चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग करने का अधिकार मिले। जिससे नवम्बर 1998 में हुए विधानसभा चुनावों में कुछ चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का प्रयोग किया गया।
- चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने हेतु हथियार निकट पुलिस थने में जमा करने की परंपरा प्रारंभ कराई
- चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार संबन्धी गतिविधियों की अपने स्तर पर विडियो रिकॉर्डिंग करावाना प्रारंभ किया ।
- मतदान के पूर्व प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ओपिनियन पोल को पूर्णतः प्रतिबन्धत किया गया।
- चुनाव आयोग ने अवैध मतदान रोकने के लिए फोटो युक्त मतदाता सूची जारी की
- सन् 2014 से मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किया गया।
- मतदाता को नकारात्मक मतदान का अवसर देते हुए सभी उम्मीदवारों को नकारने हेतु नोटा (NOTA) को सम्मिलित किया गया।
- दल–बदल कानून 1985 में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया।
- चुनाव आयोग ने मतदान के दिवस शराब बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया।
- उम्मीदवारों को शपथ पत्र पर स्वयं, पत्नी व आश्रितों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता तथा सम्पत्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य किया गया।

चुनाव सुधार हेतु प्रमुख सुझाव:– भारत में चुनाव सुधार हेतु चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय तथा वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बहुत हद तक सफलता मिली है। साथ ही जनमानस की राजनीतिक जागरूकता तथा मताधिकार द्वारा भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है। भारत में

LBP PUBLICATION

प्रारंभ से अब तक अनेक चुनाव सुधार किए जा चुके है परन्तु कुछ चुनाव सुधार अब भी किए जाने अपेक्षित है। भारत में चुनाव सुधार हेतु सुझाव अग्रलिखित हैः–

- ऑन–लाईन माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाए
- एक उम्मीदवार के एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जाए।
- नोटा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, यदि नोटा को मिले मत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को मिले मत से अधिक हो तो उस चुनाव क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया जाए।
- अंगूठे के निशान, रेटिना की पुष्टि या आधार कार्ड के माध्यम से मतदान के पूर्व मतदाता की पहचान की जाए, जिससे अवैध मतदान पर नियंत्रण पाया जा सके।
- दल–बदल कानून पर निर्णय का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के स्थान पर चुनाव आयोग व उच्चतम न्यायालय के पास हो।
- आदर्श आचार संहिता का कठोरता पूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।
- उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया जाए।
- चुनाव क्षेत्र में किसी निर्वाचित सांसद व विधायक के पद रिक्ति की स्थिति में (मृत्यु, त्यागपत्र या आकस्मिक रिक्ति होने पर) द्वितीय सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को उसके स्थान पर शेष अवधि के लिए निर्वाचित घोषित किया जाए। इससे उपचुनाव में होने वाला खर्च व संसाधन बचाया जा सकता है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध पत्र गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। भारत में चुनाव सुधारों के स्वरूप का अध्ययन द्वितीयक स्त्रोंतों के अंतर्गत प्रकाशनों, संबंधित पुस्तकों, अनुसंधान–ग्रंथों, जनगणना–रिपोर्ट, पत्र–पत्रिकाओं एवं मैगजीन आदि द्वारा चुनाव सुधार की दिशा में अब तक किए गए सुधार एवं परिवर्तन की जानकारी एकत्र कर उनका समग्र रूप से ऐतिहासिक, वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रविधि का प्रयोग कर निष्कर्ष तक पहुचनें का प्रयास किया गया है।

निष्कर्षः–

चूंकि मानव समाज प्रगतिशील है और मानव से जुड़ी सभी संस्थाएँ समय के साथ–साथ अपना स्वरूप बदलती रहती हैं। चुनाव प्रक्रिया में भी समय के साथ सुधार अपेक्षित है। भारत में चुनाव प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर अनेक सुधार व परिर्वतन किए जाते रहे हैं। चुनाव सुधार के प्रश्न पर विचार और अध्ययन करने के लिए कई समितियों, आयोगों व राजनैतिक दलों से सुझाव आते रहे हैं। भारतीय प्रजातंत्र में होने वाले चुनावों में विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि धन, बल, अपराधीकरण, नक्सलवाद, अलगाववाद एवं आतंकवाद का प्रयोग कर मतदान और मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। यदि इन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो कालान्तर में भारत में प्रजातंत्र के प्रति जनमानस की आस्था को क्षति पहुँच सकती है। भारत में हो रहे चुनावों के प्रति जनता के विश्वास को बनाये रखना भारतीय प्रजातंत्र के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। यही कारण है कि उक्त क्षेत्र को अपने शोध के लिए चुना, ताकि भारतीय प्रजातंत्र के चुनावों में आ रही विसंगतियों की पहचान की जा सके तथा उन्हें दूर करने के उपायों की खोज कर निर्वाचन आयोग व अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। अंततः यह कहना समीचिन होगा कि चुनाव सुधार मनोवैज्ञानिक तत्वों से गूढ़ राजनैतिक प्रक्रिया है, जो अनेक आन्तरिक एवं बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है। शोध पत्र के माध्यम से भारत में चुनाव सुधारों के स्वरूप की समीक्षा द्वारा भावी सुधार हेतु उपाय सुझाने का प्रयास किया गया। जिससे भारतीय प्रजातंत्र को जन–केन्द्रित बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

(1) सिवाच, जे आर. *भारत की राजनीतिक व्यवस्था.* पंचकुला : हरियाणा साहित्य अकादमी, 2002.
(2) गुप्ता, एस पी. *अनुसंधान संदर्शिका.* इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन, 2015.
(3) कोठारी, रजनी. *भारत में राजनीति.* नई दिल्ली : ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राईवेट लिमिटेड, 2016.

(4) लक्ष्मीकांत, एम. *भारत की राजव्यवस्था.* नई दिल्ली : मैकग्रॉ हील एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2014.
(5) मिश्र, आर के. *भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दल.* जयपुर : रावत पब्लिकेशन, 2011.
(6) शर्मा, वी पी. *रिसर्च मेथडोलॉजी.* जयपुर : पंचशील प्रकाशन, 2010.
(7) यादव, डी एस. *भारतीय शासन एवं राजनीति.* नई दिल्लीः रजत पब्लिकेशन, 2010.

मोहम्मद वसीम अकरम मोमिन
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर.

LBP PUBLICATION